संख्याः– 1679 / III–2 / 07–09(प्रा0आ0) / 05

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 24 जुलाई, 2007

विषयः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून में नेहरू कालोनी तेगबहादुर रोड जंक्शन से रिंग रोड तक रिस्पना नदी पर सेतु सहित मार्ग का निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्य के संदर्भ में एवं शासनादेश सं0–203 / III–02–06–09(प्रा.आ.) / 05 दिनांक 28 जनवरी, 2006 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में उपरोक्त कार्य की रू0 609.85 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 5.00 लाख के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। आपके द्वारा श्रमिक दरों में वृद्धि एवं सेतु के विस्तृत डिजाइन में परिवर्तन होने, आई.आई.टी. रूडकी के विशेषज्ञों द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त पाईल फाउन्डेशन के स्थान पर वैल फाउन्डेशन का निर्माण एवं पूर्व में सेतु निर्माण के दौरान Clay Soil मिलने के कारण नींव की गहराई में वृद्धि होने आदि कारणों का उल्लेख करते हुए संशोधित अनुपूरक आगणन लागत रू0 178.18 लाख उपलब्ध कराया गया है जिस पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 163.90 लाख (रूपये एक करोड़ तरेसठ लाख नब्बे हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते हुए सेतु निर्माण हेतु शासनादेश सं0–203 / III–2–06–09(प्रा.आ.) / 05 दिनांक 28 जनवरी, 2006 द्वारा प्रदान की गई स्वीकृत धनराशि रू0 609.40 लाख को सम्मिलित करते हुए रूपये 609.40+ रू0163.90 = रू0 773.75 लाख (रू0 सात करोड़ तिहत्तर लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि पुनरीक्षित लागत में इस कार्य को पूर्ण करा लिया जायेगा तथा अब इसके लिए पुनः कोई भी अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नही होगी। तथा इस हेतु मुख्य अभियन्ता के साथ–2 संबधित अभियन्ताओं को पूर्ण रूप से दोषी मानते हुए उनके विरूद्व कार्यवाही की जायेगी।

3. वित्तीय वर्ष 2005–06 में व्यय हेतु दी गई धनराशि रू0 0.10 लाख एवं रू0 5.00 लाख कुल रू0 5.10 लाख की स्वीकृति में उक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष रू0 768.65 लाख की धनराशि की व्यय की स्वीकृति चालू निर्माण कार्य की मद से निवर्तन पर रखी गई धनराशि से आवश्यकतानुसार वहन किया जायेगा ।

4. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

5. आगणन में 25 प्रतिशत ओवर हेड चार्ज लिया गया है इसमें यह स्पष्ट नही है कि 25 प्रतिशत में जो 15 मदें ली गई है। उनका मदवार क्या प्रतिशत निर्धारित है। अतः इसको सर्वप्रथम एम.ओ.आर.टी.एच. से प्राप्त कर लें तथा उसी के अनुरूप विस्तृत आगणन में प्राविधान कर लिया जाय। जिन मदों में ओवर हेड चार्ज देय

क्रमशः 2–

नियमानुसार मान्य नही है, उसके अवयव कम करते हुए इसमें संभावित बचत की सूचना से शासन को अवगत कराया जायेगा। कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए अगणन में प्राविधानित समस्त कार्य एम.ओ.एस.आर. टी. एण्ड एच. एवं लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराना होगा ।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. समस्त सीमेन्ट की स्ट्रैलिंग को जॉच करने पर पंजिका में इंगित की जायेगी इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबधित.सहायक अभियन्ता का होगा ।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10. निर्माण सामग्री को कय करने से पूर्व स्टोर पर्चेज नियमों का पालन करने के साथ–2 नियमानुसार विधिवत निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा इसकी पुष्टि स्थल साईट बुक में भी इंगित कराया जाना समीचीन होगा । उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग मे लाया जाय।

11. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

12. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

13. कार्य को समयबद्व करते हुए मुख्य अभियन्ता स्तर–1 एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पुल का समय–2 पर स्थल निरीक्षण करते हुए प्रत्येक 15 दिन के भीतर कार्य की प्रगति आख्या से शासन को अवगत कराया जायेगा ।

14. उक्त योजना पर व्यय संगत मद में (मार्ग के चालू कार्य) के निवर्तन पर रखी गई धनराशि से आवश्यकतानुसार अपने स्तर से ही किया जाये।

15. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–यू.ओ.164/XXVII(2)/07, दिनांक 19जून 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयाकी)
अपर सचिव

क्रमश 3–

संख्या– 1679 (1)/ III–2/07 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौडी।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून ।
5. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौडी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. अधीक्षण अभियन्ता, नवां वृत्त,लो.नि.वि., देहरादून ।
9. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग–2/3 उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

437-Go-2007-08